भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

25000 4660

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR

B 602262

अनुबन्ध - पत्र

यह अनुबन्ध विलेख सन् 2012 .... के माह मार्च..... के 21....वे दिन मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण (जिसे आगे चलकर प्राधिकरण कहा गया है, जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग के प्रतिकूल न हो उसके उत्तराधिकारी तथा अभ्यर्पित सम्मिलित होगें) प्रथम पक्ष तथा राधा टॉवर स्कीपर्स प्रा०लि०, द्वारा श्री देवआन्शु गुप्ता, नि0-130, बेरीपुरा, दिल्ली रोड़, मेरठ जिसे आगे चलकर आवंटी कहा गया है। शब्द में जब तक प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, सम्मिलित होगें। द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

For Radha Tower Skippers Pvt. Ltd.

Director

सचिव
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 602263

1. चूँकि राधापुरम (विस्तार) योजना, मथुरा में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-जीएच-04 का पंजीकरण नियमावली के अन्तर्गत नीलामी हेतु बनाये गये नियमों के अधीन, प्राधिकरण द्वारा द्वितीय पक्ष को आवंटित किया गया है । भूखण्ड का कुल मूल्य रू0 3,40,64,750/- मे से रू0 34,06,475/- दिनांक 17.12.2011 को एवं अतिरिक्त भूमि की धनराशि रू0 23,42,258/- दिनांक 16.02.2012 को जमा किया जा चुका है साथ ही फ्रीहोल्ड धनराशि रू0 40,87,770/- दिनांक 07.01.12 को एवं रू0 2,81,071/- दिनांक 16.02.2012 को जमा किया जा चुका है । अवशेष धनराशि रू0 3,06,58,275/- को 12.25 प्रतिशत ब्याज सहित 06 छमाही किस्तों में प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित किया गया है कि निर्धारित किस्तों की धनराशि को निम्नलिखित विवरणानुसार द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अदा करेगा जो कि दिनांक 01.06.2012 से देय होकर दिनांक 01.12.2014 तक देय होगी । प्रत्येक छमाही किस्त का विवरण निम्नानुसार है :-

For Radha Tower Skippers Pvt. Ltd.

Director

सचिव
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 602264

10 MAR 2012

S.No.	Date	Principal	Intt.	Inst.
		30658275-00		
1-	01.06.2012	4381441.00	1877819.00	**6259260.00**
2-	01.12.2012	4649804.00	1609456.00	**6259260.00**
3-	01.06.2013	4934604.00	1324656.00	**6259260.00**
4-	01.12.2013	5236849.00	1022411.00	**6259260.00**
5-	01.06.2014	5557606.00	701654.00	**6259260.00**
6-	01.12.2014	5898009.00	361251.00	**6259260.00**
		30658313.00	**6897247.00**	**37555560.00**

For Radha Tower Skippers Pvt. Ltd.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 602265

2. निर्धारित दिनांक के पश्चात् 29 दिन का ग्रेस पीरिएड किस्त जमा करने हेतु दिया जायेगा। 29 दिन के ग्रेस पीरिएड के अन्दर किस्त की धनराशि जमा न होने पर मूल दिनांक से विलम्ब ब्याज सहित धनराशि जमा करनी होगी ।

3. किश्त प्रति छमाही निर्धारित दिनांक तक जमा करनी होगी विलम्ब की दशा मे विलम्ब ब्याज 3 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगी । प्रतिबन्ध यह भी होगा कि यदि आवंटी या द्वितीय पक्ष लगातार तीन माह तक किस्त जमा नही करता है तो प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

4. द्वितीय पक्ष इस अनुबन्ध के पश्चात् भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर अनुबन्ध दिनांक से 05 वर्षो के अन्दर निर्माण प्रारम्भ कर पूर्ण करना होगा । सम्पूर्ण धनराशि जमा होने के उपरान्त फ्रीहोल्ड विलेख निष्पादन तक द्वितीय पक्ष आवंटी का कब्जा एक अस्थायी अनुज्ञप्ति के रूप में होगा । प्राधिकरण को नियमानुसार समस्त मूल्य एवं शुल्क प्राप्त हो जाने के पश्चात फ्रीहोल्ड विलेख निष्पादन के उपरान्त ही द्वितीय पक्ष को आवंटित भूखण्ड के स्वामित्व का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा । स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण होने के उपरान्त भवन के उपयोग से पूर्व भवन का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

For Radha Tower Skippers Pvt. Ltd.

Director

सचिव
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 602267

10 MAR 2012

10. यह कि साइट प्लान के अनुसार द्वितीय पक्ष को आवंटित भूखण्ड की सीमायें निम्न प्रकार है :-

उत्तर - 12.00 M.WD. ROAD,

दक्षिण- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-जीएच-03,

पूरब- MIG Plot No.-05, LIG Plot No.-22 & 7.50 M.WD. Road,

पश्चिम- मथुरा-वृन्दावन रोड,

भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 3272.54 वर्गमीटर है ।

11. यह कि समस्त किश्तों की धनराशि एवं देय बिलम्ब ब्याज यदि कोई हो जमा करने एवं भूखण्ड पर आरोपित समस्त शुल्कों के भुगतान होने पर ही भूखण्ड की विक्रय विलेख/फ्रीहोल्ड रजिस्ट्री की जावेगी ।

12. यह कि आवंटी को इस अनुबन्ध पत्र या विक्रय विलेख/फ्रीहोल्ड विलेखों के पंजीकरण का स्टाम्प सहित समस्त व्यय स्वयं वहन करना होगा ।

For Radha Tower Skippers Pvt. Ltd.

Director

सचिव
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 602268

13. यह कि द्वितीय पक्ष/आवंटी को आवंटन पत्र की शर्तो एंव सम्बन्धित नियमो एवं उपनियमो का पालन करना होगा तथा प्रथम पक्ष को शासनादेशों अथवा प्राधिकरण नियमों में परिवर्तन के कारण शर्तो को परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।

14. यह कि इस अनुबंध व आवंटन पत्र अथवा आवंटन सम्बन्धित नियमों, उपनियमो व शर्तो के द्वितीय पक्ष द्वारा उल्लंघन करने पर प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

15. यह कि उपरोक्त किसी भी दशा में द्वितीय पक्ष के पक्ष में हुआ आवंटन निरस्त होता है तो उस स्थिति में यानि आवंटन निरस्त होने पर द्वितीय पक्ष आवंटित भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त कर यदि कोई पूर्ण या अपूर्ण भवन निर्मित कर लेता है तो द्वितीय पक्ष आवंटित भूखण्ड पर अपने निर्माण सहित भूखण्ड का कब्जा प्राधिकरण को वापस कर देगा और प्राधिकरण को उस निर्मित भवन सहित भूखण्ड से द्वितीय पक्ष को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा और ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष को कोई किसी प्रकार की क्षति या हानि होती है तो उसके लिए द्वितीय पक्ष स्वंय उत्तरदायी होगा उसके लिए प्राधिकरण किसी प्रकार उत्तरदायी नही होगा और न ही द्वितीय पक्ष प्राधिकरण से अपनी किसी क्षति या हानि पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

16. यह कि उपरोक्त किसी भी दशा में आवंटन निरस्त होने व कब्जा प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण को उक्त भूखण्ड और यदि उस पर द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्ण या अपूर्ण भवन निर्मित कर लिया जाये तब उस निर्मित भवन सहित उस भूखण्ड का पुनः विकय करने का अधिकार होगा ।

17. यह कि उपरोक्त किसी भी दशा में आवंटन निरस्त होने व आवंटन निरस्त होने के बाद प्राधिकरण द्वारा उस पर कब्जा प्राप्त करने तथा उसे पुनः विकय करने के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करेगा ।

For Radha Tower Skippers Pvt. Ltd.

Director

सचिव
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 602269

0 MAR 2012

18. यह कि इस अनुबन्ध विलेख द्वारा द्वितीय पक्ष को आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी प्रकार का स्वामित्व प्राप्त नही होगा ।

19. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा इस अनुबन्ध विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन करने या इस विलेख में लिखी किसी भी दशा में द्वितीय पक्ष के पक्ष में वे भूखण्ड के आवंटन के निरस्त होने पर यह अनुबंध विलेख स्वत: निरस्त समझा जावेगा और उस स्थिति में द्वितीय पक्ष इस अनुबंध का किसी प्रकार लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा ।

20. यह कि आवंटन निरस्त होने के दशा में आवंटी द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा धनराशि में से नियमानुसार धनराशि जब्त करते हुए प्राधिकरण कब्जा वापस ले लेगा । यह शर्त भवन निर्मित होने से पूर्व लागू होगी अन्यथा उपरोक्तानुसार शर्तो के अनुसार कार्यवाही होगी ।

21. यह कि भविष्य में यदि भू-अध्याप्ति अधिनियम की धारा-18 के अन्तर्गत उपरोक्त आवासीय योजना हेतु अर्जित भूमि के मुआवजे (मूल्य) में कोई वृद्वि होती है तब उस दशा में आवंटी/द्वितीय पक्ष को बढ़े हुये मुआवजे (मूल्य) का समानुपातिक मूल्य प्रथम पक्ष अर्थात प्राधिकरण को अदा करना होगा ।

22. यह कि विवाद की दशा में उपाध्यक्ष मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

23. किसी प्रकार के विवाद होने की दशा में क्षेत्राधिकार मथुरा स्थित न्यायालय का होगा ।

24. उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी नियम/उपनियम का उल्लेख जो इसमें नहीं है उसको आवंटन पत्र एवं ब्रोशर के अनुसार होगा ।

For Radha Tower Skippers Pvt. Ltd.

Director

सचिव
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 602270

अतः यह अनुबन्ध विलेख लिख दिया कि जिस पर दोनो पक्ष बाध्यकारी होगें ।

केता के हस्ताक्षर
For Radha Tower Skippers Pvt. Ltd.

Director

प्राधिकरण की ओर से तथा
सचिव
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
उसके द्वारा प्राधिकृत

राधा टॉवर स्कीपर्स प्रा0लि0,
द्वारा श्री देवआन्शु गुप्ता,
नि0-130, बेरीपुरा, दिल्ली रोड़,
मेरठ ।

साक्षी- C.P. Gupta
Chander Prakash Gupta
S/o J.M. Gupta
A-103 Defence Colony Meerut

साक्षी-

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 114634

राधापुरम (विस्तार) योजना, मथुरा में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-जीएच-4 के अनुबन्ध के सम्बन्ध में ।

सचिव
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

For Radha Tower Skippers Pvt. Ltd.

Director

INDIA NON JUDICIAL

TWENTY RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AA 779712

राधापुरम (विस्तार) योजना, मथुरा में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–जीएच–4 के अनुबन्ध के सम्बन्ध में ।

For Radha Tower Skippers Pvt. Ltd.

Director

सचिव
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा